ment hereby constitutes an Advisory Board, consisting of :—

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice N. N. Goswamy, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice S. N. Shankar, Retired Chief Justice of the Orissa High Court.

3. Hon'ble Mr. Justice M. L. Jain, Retired Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 771|6|88-Cus. VIII]

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1988

आदेश

का.आ. 844(अ).—स्वापक औषध-द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव सर्वश्री बी.वी. कुमार और के.जे. रमन को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेषरूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 771/6/88-सी.शु.-8]

New Delhi, the 7th September, 1988

ORDERS

S.O. 844(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Sarvashri B. V. Kumar and K. J. Raman, Additional Secretaries to the Govt. of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 771|6|88-Cus. VIII]

का.आ. 845(अ).—स्वापक औषध-द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री के एल वर्मा को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेषरूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 771/6/88-सी.शु.-8]

एस.के. चौधरी, अवर सचिव

S.O. 845 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri K. L. Verma, Joint Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 771|6|88-Cus. VIII]

S. K. CHOWDHARY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTEREL NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 1988/भाद्रपद 16, 1910
No. 455] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1988/BHADRA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1988

अधिसूचनाएं

का.आ. 846(अ).—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, 1962 का 50 की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ. सं. 751(ई) तारीख 12-8-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।